वित्तीय स्वीकृति-2017-18

संख्या-4/2018/1007(2)/52-2-17-2(8)/2017

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0, □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये वसीका कार्यालय, लखनऊ के अवध वसीका पेंशन हे□□
प्राविधानित धनराशि रू0 100000/- की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (□□-व्ययक) □□□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख -8/2017/□□-1-1190/□□-2017 -231/2017 दिनांक 03.08.2017 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वसीका कार्यालय, लखनऊ के ब्याज अदायगियों हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 1,00,000/-(रूपया एक लाख मा)को अधोलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2-(1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त स कर ली जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाय कि घनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेग □□□ □□□□□ □□ आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के संबंध में समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(5) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0ए0-13 लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 -व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-"2075-विविध सामान्य सेवाएं-800-अन्य-व्यय-04-अवध वसीका पेंशन-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ' के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (-व्ययक)-1 के कार्यालय ज्ञाप संख -8/2017/-1-1190/-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषतः-

1- (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0
2- (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0
3- वसीका अधिकारी, वसीका कार्यालय, उ0प्र0,
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0,
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जव ,
6- वित्त (आ-व्ययक)-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)-11
8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( )
संयुक्त सचिव।

1- इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: स पर हस्ताक्षर की आवश्यक नहीं

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in